कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 3438 /11–सी–FP/UP/Road/151936/2022, लखनऊ, दिनांकः मई 1 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0, सरयू वृत्त,
अयोध्या।

विषयः– अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 2.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/303/2022/एफ0सी0/767, दिनांक 12.12.2022, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–2062/11–सी–FP/UP/Road/151936/2022, दिनांक 19.12.2022 एवं आपका पत्रांक–3288/14–10, दिनांक 28.04.2023

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.04.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त निम्न कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–01 के निराकरण के क्रम में प्रस्तावित वनभूमि की संशोधित के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड नहीं की गयी है तथा प्रस्तावित वनभूमि की संशोधित के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर संलग्न नहीं की गयी है।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0–03 के निराकरण के क्रम में पुनः प्रस्तावित CA स्थल की पठनीय SoIToposheet ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड नहीं की गयी है।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं0–06 के निराकरण के क्रम में आपके उत्तर में Not Applicable लिखा गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार सही निराकरण कर संलग्न करें।
4. प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या नोडल अधिकारी नामित है। अतः तीनों वन प्रभागों का समेकित निराकरण संलग्न कर प्रेषित करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों का संशोधित पूर्ण बिन्दुवार निराकरण संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पत्रांकः– /11–सी–FP/UP/Road/151936/2022, दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, गोण्डा एवं बस्ती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या, गोण्डा एवं बस्ती।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-557